

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटका न्यायलय

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
15/1/20	<p style="text-align: center;"><u>उपखण्ड / लुधियाना</u></p> <p>वकुलाय फरीकन उपस्थित अधिकारीगण ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पूर्वदिनांक पालना में दि० 22.1.21 को पेश होने।</p>
18/1/20	<p>नोट 17/11 (20 को राजकीय आरामवादा)</p> <p>वकुलाय फरीकन उपस्थित P.O. सहस्र हीरार राज में है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 21.2.21 को उनके समक्ष पेश होने।</p> <p style="text-align: center;">Ch रीकर</p>
22/3/21	<p>बाही काटनेकरी उपा। तर. प्रहोवाहीगण की सभ रणवी का सभसेन सभसेन दिनांक 23.2.21 को पेश होने।</p>
23/3/21	<p>बाही काटनेकरी उपा। तर. प्रहोवाहीगण की सभ रणवी का सभसेन सभसेन दिनांक 23.2.21 को पेश होने।</p>
9/3/21	<p>दि. 8.3.21 को सभसेन सभसेन (वकुलाय फरीकन उपस्थित अधिकारीगण) ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पूर्वदिनांक पालना में दि० 15.3.21 को पेश होने।</p>
15/3/21	<p>बाही काटनेकरी उपा। तर. प्रहोवाहीगण की सभ रणवी का सभसेन सभसेन दिनांक 19.4.21 को पेश होने।</p>
19/4/21	<p style="text-align: center;"><u>वकुलाय</u></p> <p>वकुलाय फरीकन उपस्थित अधिकारीगण ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पूर्वदिनांक पालना में दि० 27.4.21 को पेश होने।</p>



गरीबों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.

27⁴/₂₁ वकुलाय फरीकेन उपस्थित अधिकारी ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पालना में दि. 29.6.21 को पेश होवे।

29⁶/₂₁ वकुलाय फरीकेन उपस्थित अधिकारी ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पालना में दि. 2.7.21 को पेश होवे।

2) पत्रावली बाहर पचारे हैं जायन्दा पचावल
 दि. 2/11/21 को पेश होवे।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/केम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली के अतिरिक्त केम्प कोर्ट में दिनांक 15/11/21 को पेश हो।

15¹¹/₂₁ आज यह पत्रावली पशासन गांव के संग अभियान केम्प भौंकर में पेश हुई। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। निर्णय प्रक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से काम होतया बाद तजमील दाखल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....

पीठासीन अधिकारी .. श्री जंगलधर शीशा R.R.S.
उपनाम.....
बनाम.....

प्रशासन गांवों के स
अभियान-2021

दावा बाबत:- संख्या: 188 R.R.S.
मुकदमा नम्बर:- 265/2018
निर्णय दिनांक:- 15.11.2021

वादी की ओर से उपस्थित की व प्रतिवादी की ओर से
की उपस्थिति में आज तारीख 15.11.21 को (नाम पीठासीन अधिकारी) के सम्मक्ष अन्तिम
निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि विवादित आरजी हाथ

सं. नं. 348 खण्ड 0-16 वीला वाले गांव मोक्षपुर तहसील कोटकासिम
के वादी स्वयं (श्री प्रदीप शर्मा) को वा. डि. की लिखा जाता है प्रतिवादी को
1. 2 कोट का खर्च किया जाता है जो कि वादी स्वयं को प्रतिवादी को
परी न्यायाधीश के आदेश का अनुषंग में अत्रादिष्ट व अत्रादिष्ट के
कार्य, व विवादित आरजी के संबंध में अत्रादिष्ट व अत्रादिष्ट के
निपटारे का कार्य है।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।
यह आज तारीख 15.11.2021 को मेो हस्ताक्ष से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(
श्री जंगलधर शीशा
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम